

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान-2018 अटल सेवा केन्द्र सरणू विमनजी
क्रमांक रीडर/2018/ 375 दिनांक - 5-3-19

प्रार्थी
1 गेनाराम पुत्र सुखाराम जाति
जाट निवासी पोटलियासर सरणू
बाड़मेर तहसील व जिला
बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण
1 जगूराम 2 लालाराम 3 विशनाराम पिसराम
खेराजराम 4 उमाराम 5 चैनाराम पिसरान देदाराम
6 उदाराम पुत्र जेठाराम 7 गंगाराम पुत्र गेनाराम 8
ठाकराराम 9 कोजाराम 10 मालाराम पिसरान
रामूराम 11 गोमाराम पुत्र हड्डुमानराम जाति जाट
निवासी पोटलियासर व इन्द्रा नगर सरणू तहसील
व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-36/2017 दिनांक-07.05.2018

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा पोटलियासर पटवार क्षेत्र सरणू तहसील व जिला बाड़मेर
के खेत खसरा नम्बर 593/164 रकबा 34.08 बीघा खसरा नम्बर 404/117 रकबा 06.07
बीघा खसरा नम्बर 406/117 रकबा 0.05 बीघा कुल रकबा 41.03 बीघा भूमि के चारो
तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को
कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व
विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में
खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश
दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती
है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 5-3-19

क्रमांक :- रीडर/2017/ 376-377

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरणू तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. गेनाराम पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी पोटलियासर सरणू तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी जगूराम पुत्र खेराजराम वगैराह जाति जाट निवासी पोटलियासर व इन्द्रा नगर
सरणू तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर